

जिला स्वास्थ्य समिति, पटना

एम्बुलेंस के यूजर्स चार्जेज की तालिका

Øe l Ø	LFku	nj
1	पी.एम.सी.एच, पटना से पटना नगर निगम का क्षेत्र	200.00
2	पी.एम.सी.एच, पटना से दानापुर	300.00
3	पी.एम.सी.एच, पटना से पटनासिटी	300.00
4	पी.एम.सी.एच, पटना से हाजीपुर	350.00
5	पी.एम.सी.एच, पटना से फतुहॉ	350.00
6	पी.एम.सी.एच, पटना से पुनपुन	350.00
7	पी.एम.सी.एच, पटना से मनेर	400.00

रोगी कल्याण समिति
सदर अस्पताल, छपरा
एम्बुलेंस के यूर्जर चार्जेज की तालिका

Øe I Ø	fdykehVj	jkf'k Mhty xkMh	jkf'k i s/ky xkMh
1	01 से 15 कि०मी०	130.00	185.00
2	01 से 30 कि०मी०	260.00	390.00
3	01 से 50 कि०मी०	425.00	650.00
4	गृह जिला से पटना तक	850.00	1250.00
5	गृह जिला से दूसरे जिला तक (हाजीपुर एवं सिवान)	500.00	750.00
6	अन्य स्थान के लिए	04.25 प्रति कि०मी०	06.50 प्रति कि०मी०
7	न्यूनतम दर	130.00	185.00

जिला स्वास्थ्य समिति, गया

एम्बुलेंस के यूजर चार्ज की तालिका

Øe l 0	i k0 Lok0 dñz dk uke	i k0 Lok0 dñn l sex/k efMdy dñy st] x; k dk ; t j pkt t	i k0 Lok0 dñn l se[; ky; dh njh	i k0 Lok0 dñn l s i Vuk fLFr vLi rky dñz dh njh			
1	2	3	4	5	6	7	8
		आने जाने की दूरी (कि०मी०)	पेट्रोल गाड़ी चार्ज 14 कि० मी० प्रति ली० (रू०)	आने जाने की दूरी (कि०मी०)	पेट्रोल गाड़ी चार्ज 14 कि० मी० प्रति ली० (रू०)	आने जाने की दूरी (कि०मी०)	पेट्रोल गाड़ी चार्ज 14 कि० मी० प्रति ली० (रू०)
1	नगर प्रखंड	6	25	20	75	260	965
2	मानपुर	24	90	10	40	250	930
3	बोधगया	34	130	40	150	280	1040
4	टिकारी	60	225	70	260	310	1155
5	आमस	120	445	130	485	370	1375
6	बाराचट्टी	90	335	100	375	340	1265
7	मोहनपुर	120	445	130	485	370	1375
8	शेरघाटी	90	335	100	375	340	1265
9	गुरूआ	140	520	150	560	390	1450
10	वजीरगंज	60	225	50	185	290	1080
11	फतेहपुर	120	445	110	410	350	1300
12	खिजरसराय	70	260	60	225	300	1115
13	अतरी	90	335	80	300	320	1190
14	बथानी	120	445	130	485	325	1210
15	परैया	60	225	50	185	290	1080
16	कॉच	90	335	80	300	320	1190
17	बेलागंज	60	225	50	185	156	580
18	इमामगंज	150	560	160	595	400	1485
19	डुमरिया	190	705	200	745	440	1635

1. यूजर चार्ज मरीज या उनके अभिभावक के द्वारा एम्बुलेंस चालक/मालिक को देय होगा ।
2. यदि कोई भी मरीज के अभिभावक अपने आवास से मरीज को लाने या ले जाने का सुविधा लेना चाहते हैं तो उन्हें प्रति कि० मी० 3.70 रूपये (तीन रूपये सत्तर पैसे) की दर से भुगतान करना होगा ।
3. पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने पर दर में परिवर्तन किया जायेगा ।
4. मरीजों को एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किये हुए मरीजों को जाने हेतु आने-जाने का निर्धारित भाड़ा मरीजों के अभिभावक को देय होगा ।
5. जिला स्वास्थ्य समिति, गया के नियम और आदेश के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की शिकायत मिलेगी तो एम्बुलेंस के मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।
6. आवंटित एम्बुलेंस प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा पदाधिकारी के आदेशानुसार ही कहीं जायेगी ।
7. एम्बुलेंस 24 घंटे प्रा० स्वा० केन्द्र में उपलब्ध रहेगी ।
8. प्रत्येक एम्बुलेंस चालक लॉग बुक का निर्धारण करेंगे ।
9. विशेष परिस्थिति में पेट्रोल गाड़ी (एम्बुलेंस) 14 (चौदह) कि० मी० प्रति लिटर की दर से देय होगा ।